IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0 एफ.15(1)पंरावि/विधि/विग्रास/चयन/2017/**1387** जयपुर, दिनांकः**03.11.2017**

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त ।
2. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद, समस्त ।
3. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, समस्त ।

विषयः— **दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को विशेष ग्राम सभा आयोजन बाबत ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम—353 के प्रावधानानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान दो बार ग्राम सभा का आयोजन कर भामाशाह योजना के माध्यम से दिये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन रखा जाकर सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाना होता है । अतः निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए द्वितीय प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु **समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर उक्तानुसार प्रशासनिक प्रतिवेदन रखा जाकर सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करायें साथ ही इस विषय को ग्राम सभा के स्थाई एजेण्डा में शामिल** करावें।

यदि ग्राम पंचायतों के समक्ष अन्य कोई ऐसा विषय/एजेण्डा जो ग्राम सभा में रखा जाना हो, अपेक्षित है तो उस विषय/एजेण्डा को भी उक्त विशेष ग्राम सभा में सम्मिलित किया जाये ।

उप शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
4. ACP, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु । ।

उप शासन सचिव(विधि)